भाग एक: खण्ड छः

मध्य प्रदेश इमारती लकड़ी (Timber) तथा अन्य गौड
उपज दर निर्धारण (विस्तारण) नियम, 1974

अधिसूचना क्रमाक 2733-2406 दस 2-74 दिनांक 22-6-74- भारतीय वन अधिनियम, 1927 (विधान क्र. 16, वर्ष 1927) की धारा 76 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन एतद्द्वारा निम्नलिखित नियम बनाता है -

1. संक्षिप्त नाम तथा प्रारम्भ (1) ये नियम ''मध्यप्रदेश इमारती लकड़ी (Timber) तथा अन्य गौड़ उपज दर निर्धारण (विस्तारण्) नियम, 1974 कहलायेंगें -

(2) मध्यप्रदेश राजपत्र में प्राकशित होने के दिनांक (22-6-74) से प्रवृत्त होंगे।

2. सेन्ट्रल प्राविन्सेज एवं वरार फारेस्ट मैन्युअल (अब मध्य प्रदेश फारेस्ट मैन्युअल) जिल्द (Volume) 1 के अध्याय बीसके नियम 114 जैसा कि वह इन नियमों के प्रारम्भ होने के पूव महाकौशल क्षेत्र में प्रवृत्त है एतद्द्वारा राज्य के अन्य क्षेत्रों पर विस्तारित किया जाता है।

नोट - मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग की अधिसूचना क्र. फा./18-2-76-2 दस/ दिनांक 25 सितम्बर 1976 से सेन्ट्रल प्राविन्स एण्ड बरार फारेस्ट मैन्युअल भाग 1 एवं 2 (वर्ष 1949 का संस्करण) पूरे मध्य प्रदेश में लागू हो गया है तथा वर्ष 1980 में मध्य फारेस्ट मैन्युअल (छठां संस्करण) प्रकाशित हुआ है। पैरा 114 इसी मैन्युअल से नीचे दिया जा रहा है:

पैरा 114 - इमारती लकड़ी एवं अन्य वन उपज के दर निर्धारण - इमारती लकड़ी एवं वन उपज की दर समयसमय पर तथा जिलेवार, आयुक्त तथा वन संरक्षक की सलाह से निर्धारित की जावेगी। वनोपज की स्वीकृत दरों को जिलाध्यक्ष की सहमति से (Concurrence) वन संरक्षक कम कर सकेंगे। दर बढ़ाने की स्थिति में कमिश्नर से सलाह लेना आवश्यक है। दरों में सभी परिवर्तनों की सूचना आयुक्त को दी जानी चाहिये। वनोपज की किस्म एवं वर्ग के अनुसार अग-अलग दरें निर्धारित की जावेंगी।

इमारती लकड़ी

विभाग के आदेशानुसार निम्नलिखित मोटाई श्रेणी/लम्बाई श्रेणी निर्धारित की गईं - (नवीन प्रणाली अनुसार)

बल्ली-नाम नीचे 120 से.मी. पर लिया जावेगा।

	प्रजाति	गोलाई वर्ग	लम्बाई वग
	सागौन	15-20 से.मी.	2-3, 3-4
	21-3''	4-6 और 6 मीटर	
	31-45''	से अधिक	
	अन्य प्रजाति	21-30''	2-3 मीटर तक
	31-45''	3-5 मीटर तक	
	46-60''		5 मीटर से अधिक लम्बाई वर्ग।
लट्ठे -	सागौन	46 से.मी. से अधिक	2-3, 3-4, 4-6, 6 से अधिक।
	अन्य प्रजाति	60 से.मी. से ऊपर	2-3, 3-5, 5 मीटर से अधिक।

बल्ली की दर प्रति नग तथा लट्ठों की प्रति घ. मी. से निर्धारित की जावेगी।

जलाऊ लकड़ी

केवल गिरी पड़ी मरी, सूखी जलाऊ लकड़ी के भाव निर्धारित किये जावेंगे। दरें, सिरबोझ, कांबड़ बोझ, और गाड़ी बोझ हेतु निर्धारित की जावेंगी। मवेशियों या अन्य बोझ का दर निर्धारण उपरोक्त आधार पर किया जावेगा। आवश्यकता पड़ने पर वर संरक्षक, सूखी जलाऊ लकड़ी के संग्रहण के लिये मासिक दर भी निर्धारित कर सकता है।

घास

चराई के चारे एवं छप्पर छाने के घास की अलग-अलग दर निधारित करना वांछनीय है। चराई चारे की दर, जहां तक सम्भव हो, कम रखना चाहिये। जहां पर सवाई घास (Ischaemum Augustifolium) विशेष मात्र में उपलब्ध हों, वहां इस घास की भी दर निश्चित की जानी चाहिए। यह कीमती वाणिज्यिक वस्तु है अतः इसकी दर ऊँची निश्चित किया जाना चाहिए।

अन्य उपज

(1) जहां तक सम्भव हो दर बहुत कम और साधारण हो।

(2) निर्मित वस्तुओं के लिये विशेष दरें, जैसे धुरी, हल, आदि को टालना चाहिए क्यायेंकि वृक्ष या बल्ली द्वारा, जो कि उनको बनाने में आवश्यक हैं, के अनुसार भुगतान होना चाहिए।

(3) अधिकतर दरें सिर बोझ, कावर बोझ या बैलगाड़ी की ही निश्चित की जाना चाहिए।

(4) किसी भी दो दर के बीच का अन्तर या कोई दर एक पैसा से कम नहीं होना चाहिए और दर 2 पैसा पहुंच जावे तब अन्तर आधा आना (दो पैसे) के कम अन्तर करते हुए अन्तर नहीं निश्चित किया जाना चाहिए।

(5) कतिपय प्रकार के वनोपज के लिए एक सिरबोझ प्रतिदिन के हिसाब से मासिक अनुज्ञा पत्र जारी करना चाहिए।

(6) बांस की दर प्रति सैकड़ा के हिसाब से निर्धारित होना चाहिए।

नोटजलाऊ - लकड़ी सिर बोझ से नि:शुल्क लाने की सुविधा -

मय्यप्रदेश शासन ने पत्र क्र .18/11/506/दस/2/75 दिनांक 29.4.75 द्वारा ग्रामीणों को राज्य के समस्त आरक्षित एवं संरक्षित वनों से गिरीपड़ी-, मरी, सूखी जलाऊ लकड़ी सिरबोझ से नि:शुल्क लाने की सुविधा दी है।

बाँस की सुविधा

मध्य संदेश शासन, वन विभाग के पत्र क्र 7/23/79/दस/3 दिनांक 16.9.85 में बाँस प्रदाय हेतु निम्न व्यवस्था की है-

क्र.	श्रेणी	मात्रा	दर जो निर्धारित हो
(1)	कृषक, कृषि मजदूर, ग्रामीण कारीगर	अधिकाम 250 बाँस ढुलाई व्यय जोड़कर	रायल्टी 0.25 कटाई, ढुलाई व्यय जोड़कर

(2)	बसोड़	प्रत्येक परिवार को अधिकतम 1500 बाँस	रायल्टी 0.25 तथा कटाई, ढुलाई व्यय
)3)	पान वरेजा	अधिकतम 1000बाँस तक कटाई	रायल्टी 1-कटा 50ई, ढुलाई व्यय जोड़कर

अग्रि तथा बाढ पीडित व्यक्तियों को सहायता

मध्य संदेश शासन, वन विभाग के पत्र क्र .1046/5367दस//(2) 73 दिनांक 28.2.78 एवं पत्र क्र . 271/4753/सा/3/76 दिनांक 10.2.77 के अनुसार अग्रि तथा बाढ़ पीडित व्यक्ति को सम्बन्धित अनुविभागीय अधिकारी :की सिफारिश लाने पर निम्न वनोपज नि (राजस्व)शुल्क प्रदाय की जावेगी-

बल्ली ..... 30 नग
बॉस .....50 नग

वन विभाग मशासन .प्र ., अधि. क्र .289 नागपुर दिनांक 16.7.1953 फरिस्ट मैन्युअल अध्याय 20 के भाग 4के अन्तर्गत पैरा 114-अ के रूप में जोडा जावे -

पैरा 114 (अवनोपज को खारिज क (रने हेतु मूल्य निर्धारण इमारती लकडी एवं जलाऊ -लकडी के निम्न तीन कारणों के कारण स्टॉक से खारिज किया जा सकता है।

(1) चोरी आदि के कारण कमी से।
(2) अग्रि से नष्ट होने के कारण ।
(3) उसके बिक्री योग्य न होने के कारण ।

प्रत्येक प्रकरण में वन मण्डलाधिकारी की यह व्यक्तिगत जिम्मेदारी होगी कि वह उसका मूल्यांकन करे और प्रमाण-पत्र जारीकरें।

वन में कटी इमारती लकडी जलाऊ लक्खी का उपयोगी जीवन पाँच वर्ष माना जावेगा तथा बाँस का दो वर्ष । अन्य वस्तुओं की उपयोगिता सीमा उनकी प्रकृति पर निर्भर होगी । इमारती तथा जलाऊ लकडी जो खारिज की जाने वाली है, उनका प्रत्येक का मूल्यांकन निम्न निर्देशों के अनुसार होगा तथा वन मण्डलाधिकारी निर्धारित प्रपत्र में प्रमाणपत्र - देंगे।

चोरी के कारण कमी के सम्बन्ध में इ) (अ) –मारती लकडी – होगा समाविष्टपत्र में निम्न-प्रमाण (

(1) हानि की जांच पूर्ण कर ली गई है त कर दिया गया है।ई आदेशों के अनुसार प्रतिवेदन प्रस्तुस्था ,
(2) हानि का मूल्यांकनजैसे ,तानुसार किया जावेगा जहां नुकसान हुआ हैन पर विक्रय योग्यउस स्था , कूप में कट :उदाहरणतः इमारती लकडी की क्षति कूप से ही हुई है तो कूप में नीलाम का जो मूल्य प्राप्त होता उससे अनुमानित मूल्य लिया जावेगा। उसी क्षेत्र में उस तरह वस्तु नहीं बेची जाती है, तो खडी वस्तु के मूल्य में कटाई, ढुलाई व्यय जोड़ना चाहिए। यदि कटी और खडी वस्तु क्षेत्र में नहीं बेची जाती है तथा डिपों पर बेची जाती है, तो कूप मेंकटी चोरी गई इमारती लकडी का मूल्य डिपो में प्राप्त मूल्य के आधार पर निकाल कर उसमें से परिवहन व्यय घटाया जावेगा।

उपरोक्त प्रकार मूल्यांकन करने के उपरान्त, वृक्ष की कटाई की तिथि तथा नुकसान की तिथि के मध्य वर्ष के लिए उसका 1/ भाग प्रति वर्ष के मान से मूल्य की कमी की जावेगी। जेसे 5कटाईं जून में हुई तथा कानि 83 में हुई तथा क 86 वर्ष जुलाईटी लकडी का जून 4 का मूल्यांकन 83,/000- आया जो जुलाई की स्थिति में तीन 86 1 वर्ष में उसका मूल्य प्रत्येक वर्ष का/3 से 5/2 अर्थात् 5, में 86 घट जावेगा तथा जुलाई -/400मूल्यांकन 1,600/- माना जावेगा।

किसी भी वर्ष के अन्त में अर्थात् पाँ)च वर्ष के पश्चात् भी उस (लकडी का मल्य शिइयूल आँफ रेट से जलाऊ लकड़ी का मूल्य तथा उत्पादन खर्च सहित जो मूल्य होगा वह होगा। यह मूल्य दस वर्ष तक रहेगा। दस वर्ष के उपरान्त केवल उत्पादन व्यय की मूल्य को निरूपित करेगा।

क्रमांक अ 2र्थात् अग्रि से होने वाली क्षति से संबंध में -प्रमाण -पत्र में नुकसान का ज्ञात एवं अनुमानित)Presumedकारण का विवरण होगा और इसके निश्चित क (रने के संभाव्य समी प्रयास किए गए यह भी होगा। हानि का मूल्यांकन क्रमांक)1में दी विधि से ही होगा। (

क्रमांक अर्थात् विक्रय योग्य न रहने से 3हानि के संबंध में -प्रमागापत्र में यह समावेश होगा कि वस्तु को बेचने के समी संभाव्य प्रयास किये गये और अब उसको स्टाक में रखना उपयोगी नहीं होगा । दस वर्ष तक इमारती लकड़ी का मूल्य रियायती जलाऊ लकड़ी का मूल्य तथा उत्पादन व्यय रहेगा उसके उपरान्त उत्पादन व्यय रहेगा उसके उपरांत उत्पादन व्यय ही मूल्य माना जावेगा । वन मण्डलाधिकारी इस ऐच्छिक)Discreationary (अधिकार को बहुत सावधानीपूर्वक रूप में उपयोग में लावेगा। लायेगा। वह उनकी व्यक्तिगत जिम्मेदारी होगी कि यह देखें कि कोई कीमती इमारती लकड़ी न" बिकने योग्य) "Unsaleableन घोषित हो जावे। (